सी.एल.टी.एस विधा के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां

मुख्यतः चार चरणों में सी.एल.टी.एस. विधा को सम्पादित किया जाता है।

प्रथम चरणः ट्रिगरिंग से पूर्व की गतिविधियां

1. ग्राम की समस्त जानकारियां प्राप्त करना
    - ग्राम की जनसंख्या एवं परिवार संख्या की जानकारी।
    - ग्राम का पहुॅच मार्ग का नक्शा।
    - ग्राम में खुले में शौच का स्थान की जानकारी और उसे नक्शे पर दर्शाना।
    - ग्राम के समस्त टोले/मौहल्ले की जानकारी
    - ट्रिगरिंग के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, समय एवं दिनांक।
    - ग्राम का जातिगत समीकरण।
    - ग्राम में उपलब्ध शौचालय– उपयोगी एवं अनउपयोगी।
    - ग्राम के स्कूल/आगंनवाडीयो में स्वच्छता की स्थिति।
    - ग्राम के पेयजल स्त्रोतों की समस्त जानकारी।
    - ग्राम के तालाबों एवं नदियो की जानकारी।
    - ग्राम के सक्रिय स्वंय सहायता समूहों की जानकारी।
2. ग्राम के प्रमुख्य व्यक्तियों से सम्पर्क एवं उनके फोन न. प्राप्त करना
    - मुखिया
    - ग्राम प्रधान
    - जल सहिया
    - ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों
    - स्वास्थ्य सहिया
    - स्कूल शिक्षक
    - अन्य प्रभावी व्यक्ति
3. ग्राम के मिस्त्रीयों की जानकारी

दूसरा चरणः ट्रिगरिंग

1. स्थानीय स्थिति को देखते हुए सी.एल.टी.एस. के टूल्र्स का प्रयोग करना एवं समुदाय को ट्रिगर करना।
2. समुदाय से स्वभाविक नेता की पहचान करते हुए ग्राम की स्वछता निगरानी समिति का गठ़न करना।
3. समुदाय से खुले में शौचमुक्त होने की सम्भावित दिनांक लेना।
4. ग्राम के स्कूल एवं आंगनवाड़ियों के बच्चों को ट्रिगर करना।

तीसरा चरणः ट्रिगरिंग के पश्चात की गतिविधियां

1. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ बैठक करना।
2. ग्राम की स्वच्छता निगरानी समिति के बैठक।

3. ग्राम के स्वभाविक नेताओं के साथ बैठक।
4. ग्राम के स्वंय सहायता समूहों के साथ बैठक।
5. ग्राम के स्कूली बच्चों का स्वच्छता क्लब तैयार करवाना।
6. ग्राम के स्कूला बच्चों के साथ स्वच्छता रैली अयोजित करना।
7. ग्राम की महिलाओं एवं बच्चों के साथ स्वच्छता रैली अयोजित करना।
8. समुदाय को स्वंय की निगरानी करने के लिए प्रेरित करना एवं तरिकों का विकास करना।
9. समुदाय के साथ शौचालयों के विकल्पों एवं तकनीक पर जानकारी को सांझा करना।
10. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से ग्राम में दिवार लेखन कार्यो को करवाना।
11. ग्रामीणों को कहां से शौचालय निमार्ण की समाग्री उपलब्ध हो सकती है उस हेतु market survey करना एवं उन्हें जानकारी देना।
12. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से ग्राम के मिस्त्रीयों का प्रशिक्षण करवाना।
13. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से ग्राम के स्वभाविक नेताओं एवं अन्य पंचायती राज के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करवाना।
14. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से ग्राम में अन्य खुले में शौचमुक्त ग्राम के स्वभाविक नेता या अन्य प्रभावीय व्यक्तियों का ग्राम भ्रमण एवं बैठक आयोजित करना।
15. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से ग्राम के स्वभाविक नेताओं एवं अन्य पंचायती राज के प्रतिनिधियों का अन्य किसी खुले में शौचमुक्त ग्राम/प्रखंड/जिले का भ्रमण करना।
16. ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों का ODF सत्यापन करना।

चौथा चरणः ODF के पश्चात की गतिविधियांः

1. ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के साथ मिलकर ग्राम का ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु योजना तैयार करवाना एवं उस हेतु नक्शा बनवाना।
2. ग्राम की सफलता / असफलता की कहानियों का संकलन करवाना।